लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1699

10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र और परिधान विनिर्माण इकाइयाँ

1699. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

डॉ. नामदेव किरसान:
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान खोली गई, बंद की गई और संचालित रही वस्त्र एवं परिधान विनिर्माण इकाइयों की कुल संख्या वर्षवार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य और लिंगवार व्याप्ति सहित वस्त्र क्षेत्र द्वारा सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किसी प्रमुख बाधाओं की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र में मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार, वर्ष 2019-2023 की अवधि के दौरान वस्त्र और अपैरल क्षेत्र के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल इकाइयों की संख्या, परिचालन इकाइयों और अन्य इकाइयों की संख्या (अचल संपत्ति वाली फैक्ट्रियां लेकिन अपने कर्मचारियों को बनाए नहीं रखने वाली और 3 वर्षों से उत्पादन न करने वाली, या अस्तित्व में न होने वाली, या पंजीकरण रद्द करने वाली, या कवरेज से बाहर आदि) **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख): वस्त्र उद्योग देश में रोज़गार पैदा करने के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, अनुमान है कि यह प्रत्यक्ष तौर पर 45 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे के यूनिट लेवल डेटासेट के अनुसार, अनुमान है कि 50% से ज़्यादा महिलाएँ वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में हैं।

(ग) और (घ): सरकार भारतीय निर्यात पर प्रभाव डालने वाली मुख्य व्यापार बाधाओं को पहचानने और उन्हें हल करने और एमएसएमई को सहायता करने के लिए स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार विचार-विमर्श करती है। सरकार ने इस मामले में, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए मुख्य रुकावटों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सहित कई कदम उठाए हैं:

i. भारत सरकार कई देशों के साथ व्यापार विचार-विमर्श को प्राथमिकता देती है ताकि वस्त्र सहित भारत के वस्त्र निर्यात के लिए पारस्परिक लाभ वाले व्यापार समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक बेहतर पहुँच के ज़रिए भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए बाजार पहुंच और टैरिफ़ लाभ मिल सकें।

ii. भारत ने विभिन्न देशों में पहुंच प्रदान करने के लिए भारत-ब्रिटेन, भारत-ओमान सीईपीए सहित 16 एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर दिसंबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे और भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए किया है।

iii. निर्यात संवर्धन मिशन- निर्यात प्रोत्साहन के तहत प्री एंड पोस्ट – शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए इन्टरेस्ट सबवेन्शन पहल शुरू की गई। ताकि एमएसएमई के निर्यातकों को प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपए एक्सपोर्ट क्रेडिट तक बेहतर पहुंच की सुविधा मिल सके। ये सुविधा ऐसे ऋण की लागत को कम करके और नियम-आधारित और पारदर्शी ब्याज-राहत प्रणाली प्रदान कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य एमएसएमई निर्यातकों के लिए लिक्विडिटी को बढ़ाने और उन्हें वर्किंग – कैपिटल आवश्यकता को प्रभावी तरीके से पूरा करने में सक्षम बनाना है।

iv. सरकार ज़ीरो-रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स हेतु राज्य और केंद्रीय कर और लेवी में छूट (आरओएससीटीएल) योजना भी लागू कर रही है। इसके अलावा, जो वस्त्र उत्पाद आरओएससीटीएल योजना के तहत नहीं आते हैं, उन्हें दूसरे उत्पाद के साथ निर्यातित उत्पाद पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किया जाता है।

v. भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं/पहलें क्रियान्वित करती है, जिसमें एमएसएमई को सहायता भी शामिल है। मुख्य योजना/पहल में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और टेक्निकल पर फोकस करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, प्रमोशन और मार्केट डेवलपमेंट पर फोकस करने वाला नेशनल टेक्निकल वस्त्र मिशन (एनटीटीएम); वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ-योजना जिसका उद्देश्य मांग पर आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर में हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना; राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

vi. लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) वस्त्र क्षेत्र सहित एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए कई योजना और कार्यक्रम कार्यान्वित करती हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

अनुबंध-I

	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			2018-19		
राज्य	**कार्यशील फैक्ट्रियाँ**	**कारखानों की संख्या**	**अन्य***	**कार्यशील फैक्ट्रियाँ**	**कारखानों की संख्या**	**अन्य***	**कार्यशील फैक्ट्रियाँ**	**कारखानों की संख्या**	**अन्य***	**कार्यशील फैक्ट्रियाँ**	**कारखानों की संख्या**	**अन्य***	**कार्यशील फैक्ट्रियाँ**	**कारखानों की संख्या**	**अन्य***
संपूण भारत	20204	28600	8396	20417	27866	7449	21039	27762	6723	21546	28456	6910	22184	29030	6846
आंध्र प्रदेश	494	563	69	423	536	113	477	569	92	450	552	102	522	611	89
असम	29	30	1	27	28	1	35	35	0	35	35	0	42	49	7
बिहार	24	25	1	25	26	1	25	26	1	25	26	1	23	25	2
छत्तीसगढ	11	12	1	20	20	0	20	21	1	19	20	1	20	20	0
दादरा और नगर हवेली	228	308	80	170	319	149	236	317	81	243	301	58	183	263	80
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव			0			0			0			0			0
दमन और दीव	62	131	69	82	121	39	69	126	57	96	123	27	55	88	33
दिल्ली	467	690	223	409	682	273	457	603	146	337	569	232	434	547	113
गोवा	8	8	0	12	12	0	10	12	2	9	9	0	10	10	0
गुजरात	1970	3038	1068	2026	3094	1068	1884	3309	1425	2136	3287	1151	2168	3217	1049
हरियाणा	1084	1418	334	1036	1371	335	1147	1458	311	1183	1563	380	1448	2326	878
हिमाचल प्रदेश	113	117	4	99	115	16	84	96	12	84	104	20	64	93	29
जम्मू और कश्मीर	38	41	3	36	38	2	34	38	4	38	38	0	34	35	1
झारखंड	4	4	0	4	4	0	4	4	0	5	5	0	8	9	1
कर्नाटक	844	1195	351	837	1238	401	844	1272	428	937	1269	332	894	1252	358
केरल	404	453	49	413	441	28	450	456	6	441	472	31	420	471	51
मध्य प्रदेश	163	210	47	198	205	7	210	228	18	207	216	9	187	206	19
महाराष्ट्र	2158	2954	796	2161	2941	780	1901	2859	958	1843	2809	966	1712	2751	1039
मणिपुर			0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0
मिजोरम			0			0			0			0			0
नागालैंड	2	4	2			0			0			0			0
ओडिशा	42	43	1	42	42	0	37	38	1	36	36	0	35	37	2
पुदुचेरी	40	41	1	28	30	2	25	26	1	25	26	1	23	26	3
पंजाब	1173	1630	457	1197	1699	502	1362	1640	278	1263	1625	362	1289	1645	356
राजस्थान	1281	1487	206	1288	1486	198	1344	1455	111	1336	1515	179	1407	1516	109
तमिलनाडु	7382	11363	3981	7500	10411	2911	8039	10143	2104	8394	10511	2117	8916	10700	1784
तेलंगाना	284	291	7	286	305	19	233	309	76	268	325	57	239	304	65
त्रिपुरा	3	3	0	3	3	0	4	4	0	4	4	0	3	3	0
उत्तर प्रदेश	1259	1787	528	1399	1899	500	1392	1887	495	1411	2159	748	1360	2013	653
उत्तराखंड	61	63	2	47	49	2	47	51	4	51	52	1	28	31	3
पश्चिम बंगाल	575	687	112	648	747	99	662	776	114	665	799	134	654	773	119
कुल योग	**40407**	**57196**	**16789**	**40836**	**55731**	**14895**	**42074**	**55523**	**13449**	**43090**	**56909**	**13819**	**44365**	**58054**	**13689**

	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
राज्य	कार्यशील फैक्ट्रियाँ	कारखानों की संख्या	अन्य*	कार्यशील फैक्ट्रियाँ	कारखानों की संख्या	अन्य*	कार्यशील फैक्ट्रियाँ	कारखानों की संख्या	अन्य*	कार्यशील फैक्ट्रियाँ	कारखानों की संख्या	अन्य*	कार्यशील फैक्ट्रियाँ	कारखानों की संख्या	अन्य*
अखिल भारतीय	22137	29569	7432	22412	29999	7587	22774	30210	7436	23101	30672	7571	23838	31176	7338
आंध्र प्रदेश	473	583	110	385	546	161	357	524	167	368	477	109	356	451	95
असम	37	38	1	34	36	2	33	36	3	31	31	0	33	36	3
बिहार	24	25	1	21	22	1	21	22	1	17	22	5	18	20	2
छत्तीसगढ	22	22	0	25	25	0	27	27	0	27	27	0	30	31	1
दादरा और नगर हवेली	185	278	93			0			0			0			0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव			0	259	353	94	265	356	91	236	400	164	241	328	87
दमन और दीव	87	119	32			0			0			0			0
दिल्ली	383	511	128	321	511	190	336	478	142	266	466	200	325	400	75
गोवा	9	10	1	9	9	0	9	9	0	10	10	0	9	9	0
गुजरात	2485	3450	965	2478	3439	961	2347	3318	971	2544	3481	937	2736	3806	1070
हरियाणा	1261	1905	644	1422	2014	592	1351	1979	628	1242	1811	569	1336	1790	454
हिमाचल प्रदेश	74	92	18	87	87	0	67	91	24	80	110	30	62	91	29
जम्मू और कश्मीर	35	36	1	35	41	6	34	35	1	30	35	5	34	35	1
झारखंड	12	13	1	25	26	1	18	20	2	22	22	0	20	22	2
कर्नाटक	861	1290	429	871	1247	376	887	1190	303	853	1260	407	887	1293	406
केरल	476	495	19	445	501	56	465	479	14	447	498	51	458	471	13
मध्य प्रदेश	218	227	9	226	250	24	230	247	17	224	237	13	215	230	15
महाराष्ट्र	1686	2692	1006	1843	2774	931	1823	2762	939	1899	2760	861	1924	2675	751
मणिपुर	3	3	0	4	4	0	4	4	0	6	6	0	6	6	0
मिजोरम	60	60	0	60	60	0	60	60	0	58	58	0	58	58	0
नागालैंड			0			0			0			0			0
ओडिशा	35	35	0	35	35	0	33	38	5	30	35	5	30	32	2
पुदुचेरी	27	31	4	33	33	0	30	31	1	27	34	7	27	29	2
पंजाब	1277	1634	357	1246	1646	400	1337	1659	322	1440	1722	282	1423	1717	294
राजस्थान	1463	1608	145	1466	1648	182	1571	1725	154	1633	1779	146	1597	1839	242
तमिलनाडु	8498	11075	2577	8586	11293	2707	8771	11460	2689	8483	11432	2949	8503	11467	2964
तेलंगाना	172	279	107	203	285	82	153	194	41	168	198	30	203	264	61
त्रिपुरा	3	3	0	1	3	2			0			0			0
उत्तर प्रदेश	1481	2149	668	1465	2142	677	1830	2551	721	2081	2764	683	2546	3091	545
उत्तराखंड	52	53	1	28	37	9	31	37	6	44	46	2	43	51	8
पश्चिम बंगाल	740	851	111	797	928	131	678	869	191	828	945	117	715	926	211
कुल योग	**44276**	**59136**	**14860**	**44822**	**59994**	**15172**	**45542**	**60411**	**14869**	**46195**	**61338**	**15143**	**47673**	**62344**	**14671**

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ई- सांख्यिकी पोर्टल), एमओएसपीआई ;

नोट-1: अन्य* - ऐसी फैक्ट्रियां जिनके पास फिक्स्ड एसेट हैं, लेकिन जो अपने स्टाफ को मेंटेन नहीं कर रही हैं और 3 साल से उत्पादन नहीं कर रही हैं, या जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, या जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, या जो कवरेज से बाहर हैं आदि।

नोट-2: उपरोक्त डेटा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के डेटा कवरेज से संबंधित है, जो पूरे फैक्ट्री क्षेत्र तक फैला हुआ है, जिसमें फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम) (i) और 2 (एम) (ii) के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ (जिन्हें कारखाने कहा जाता है) शामिल हैं, जिसमें 'फैक्ट्री', जो एएसआई के लिए गणना की प्राथमिक सांख्यिकीय इकाई है,

***